SEMESTER - 2

CC- 9

Contemporary India

- Unit - IV - Gender and politics in Contemporary India

  PART - 2

Vetted by :

प्रो० (डॉ०) सुरेंद्र कुमार

विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग

पटना विश्वविद्यालय, पटना

संपर्क : 09835463960

Presented by:

शिप्रा नंदन

अतिथि शिक्षक, इतिहास विभाग

पटना विश्वविद्यालय, पटना

संपर्क : 08604171178

nandan.shiprabhu@gmail.com

<u>हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम ,१९५६</u>

<u>(Hindu Succession Act ,1956)</u>

भारतीय हिन्दू समाज में उत्तराधिकार के सम्बन्ध में याज्ञवल्क्य स्मृति के नियम प्रचलित थे। याज्ञवलक्य स्मृति ,धर्मशास्त्र परंपरा का एक हिन्दू ग्रन्थ है जो सबसे अच्छी व व्यवस्थित रचना मानी जाती है। इस ग्रन्थ में सर्वप्रथम महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के सम्बन्ध में विवरण मिलता है। इस ग्रन्थ की दो टीकाएँ काफी महत्वपूर्ण रहीं ,जो थीं -विज्ञानेश्वर रचित मिताक्षरा और जीमूतवाहन रचित दायभाग। दायभाग का कानून बंगाल और आसाम में चलता था और शेष देश में मिताक्षरा का कानून चलता था। इसमें मिताक्षरा के अंतर्गत चार तरह की संप्रदाय थे -मिथिला ,बनारस,महाराष्ट्र/बॉम्बे और द्रविड़ सम्प्रदा। इन सबमे स्थानीय मान्यताओं के अनुसार थोड़ा बहुत फर्क था परन्तु मूल रूप में वह मिताक्षरा कानून को ही मान्यता देता था। इन दोनों ही सम्प्रदायों में संपत्ति पुत्रों को मिलती थी ,मिताक्षरा में एक अलग भी प्रावधान था। इसके अंतर्गत संपत्ति के तीन प्रकार थे -

१)व्यक्ति ने जो संपत्ति स्वयं अर्जित की हो

२)पैतृक संपत्ति

३)अन्य -माता ,पिता व रिश्तेदारों द्वारा दी गई संपत्ति।

इसके अंतर्गत अर्जित सम्पति ,व्यक्ति जिसने स्वयं अर्जित की हो वह अपनी संपत्ति चाहे जिसे देना हो दे सकता था जबकि पैतृक संपत्ति उसके पुत्रों और पौत्रों को ही मिलती थी। दायभाग के अंतर्गत ऐसा वर्गीकरण नहीं होता था। मिताक्षरा क अंतर्गत पिता की संपत्ति में पुत्रों का जनम से ही अधिकार होता था जबकि दायभाग में पिता की मृत्यु के बाद पुत्र उसका हिस्सेदार बनता था। अब यहाँ बात विभाजन की किजाए तो मिताक्षरा में पुत्र पिता के जीवित रहते संपत्ति का बटवारा कर सकता था परन्तु दायभाग में ऐसा नियम नहीं था। दोनों ही परम्पराओं में माता का पुत्र के बराबर संपत्ति में अधिकार था परतु वह अधिकार बहुत सिमित था। अर्थात माता बंटवारे कि मांग नहीं उठा सकती थी और न उसे संपत्ति बेचने का ही अधिकार था।

१९५६ तक पुरे देश में यही परंपरा प्रचलित थी जो कि पुरे देश में लैंगिक असमानता को दर्शा रहा था। अतः हिन्दू उत्तराधिकार के अंतर्गत इन दोनों परम्पराओं को ख़त्म कर पुरे देश के हिन्दू सम्प्रदायों के लिए एक सामान उत्तरधिकर कानून बनाया गया। १९३७ में जो बी एन राव के अंतर्गत जो "देशमुख "कानून बना था,उसके अंतर्गत महिलाओं/विधवाओं को संपत्ति में अधिकार मिला परन्तु बेचने का अधिकार नहीं मिला। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को पूर्ण अधिकार दिया गया साथ ही महिलाओं को संपत्ति को बेचने का अधिकार मिला। इस बिल को लेकर भी संसद में काफी बहस हुई। एक तरफ कुछ रूढ़िवादी विचार के लोग थे,जिनका मानना था कि महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा देने से उनका चारित्रिक व नैतिक पतन होता है तथा समाज व देश में दुर्व्यवस्था फैलेगी। दूसरी तरफ नारीवादी व अन्य महिला संगठन महिलाओं के अधिकारों के लिए संपत्ति में

अधिकार कि मांग सरकार से कर रही थी। सरकार ने बिच का रास्ता निकलते हुए पिता कि स्वअर्जित संपत्ति में उसकी माता ,विधवा पत्नी ,पुत्र व पुत्री को बराबर का हक़ दिया परन्तु पैतृक समपत्ति में कोई हक़ नहीं दिया। इसके साथ ही भाइयों को अधिकार मिला कि वो चाहे तो माता ,पिता कि मृत्यु के बाद बहनो कि संपत्ति उनसे खरीद सकते हैं।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ कि धारा ८-१३ तक में कहा गया है कि बिना वसीयत लिखे मरने पर पिता कि संपत्ति का बंटवारा निम्न आधारों पर किया जायेगा -

१)वारिस में पुत्र ,पुत्री ,माता ,विधवा पत्नी व अन्य होंगे और अगर ये न हों तो

२)पिता ,पुत्री कि पुत्री या उसका पुत्र इत्यादि को हिस्सा मिलेगा और अगर ये भी जिन्दा न हो तो

३)गोत्रज को मिलेगा किन्तु अगर ये भी न हो तो

४)मृतक के बंधू -नाना ,नानी आदि को मिलेगा और ये भी न हो तो उस व्यक्ति कि संपत्ति दान कर दी जाएगी।

इस अधिनियम में अन्य और कई तरह कि धाराएं थी जिसमे कमी पाए जाने कि वजह से देश में व्यापक स्तर पर नारीवादी संगठनो व स्वयंसेवी संस्थावों द्वारा आंदोलन चलाया गया। इस कानून के सम्बन्ध में खुद महिलाओं के ट्रक थे कि ये एक कागजी कानून भर है जिसके तहत महिलाओं को कोई अधिकार तक नहीं है और काफी बहस के पश्चात् कांग्रेस में गठित सरकार के नेतृत्व में १९५६ के कानून में सुधार करके हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन)अधिनियम २००५ लगा गया जो कि ९ सितम्बर २००५ को

पुरे देश में लागू हुआ और इसी के तहत महिलाओं को संपत्ति में व्यापक अधिकार दिए गए। इस कानून के तहत महिलाओं को स्वअर्जित व पैतृक संपत्ति में पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया। एक तरफ जहा १९५६ से पहले विधवा व अविवाहित पुत्री को केवल परवरिश का ही अधिकार था परतु अब उसे सपिण्ड के अंतर्गत रखा गया और पुत्रियों को पुत्री के सामान अधिकार दिया गया। इसके अंतर्गत मिताक्षरा कानून को आधार बनाते हुए कहा गया कि अर्जित समपत्ति में व्यक्ति चाहे किसी को भी अपनी संपत्ति दे सकता है परतुं अगर वह बिना वसीयत बनाये मरता है तो उसकी स्वअर्जित समपत्ति में उसकी माता ,उसकी विधवा पत्नी,पुत्र व पुत्री को बराबर अधिकार होंगे। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि पिता चाहकर भी अपनी पैतृक समपत्ति बेच नहीं सकता जबतक कि उस समपत्ति का बटवारा नहीं हो गया हो। क्युकी जनम से ही उसके उत्तराधिकारियों का उस पितृ संपत्ति में अधिकार हो जाता है। अगर पैतृक समपत्ति उसके सभी उत्तराधिकारिओं में बंट जाए तब कोई भी अपना हिस्सा चाहे तो बेच सकता है। इस संशोधित अधिनियम में यह भी कहा गया कि अगर पुत्र को अपने पिता व अपनी पैतृक समपत्ति बेचनी हो तो उसके लिए जरूरी है कि पुत्र उस समपत्ति के बाकी हिस्सेदारों से "NOC "का सर्टिफिकेट ;लेना जरूरी होता है। इसके अंतर्गत यह भी कहा गया है कि अगर पिता किसी संपत्ति को कर्ज लेकर खरीदता है और कर्ज चुकाने से पहले ही पिता कि मृत्यु हो जाती है तो वैसी स्थिति में उस समपत्ति के साथ ही वह कर्ज भी उसके उत्तराधिकारियों पर लागू होगा। अर्थात इसके तहत अधिकार के साथ ही जिम्मेदारी भी संपत्ति के उत्तराधिकारियों को मिलती है।

इस प्रकार उत्तराधिकार कानून में लिंगात्मक विभेद को ख़त्म किया गया है और पुत्री के साथ ही माता व पत्नी को भी संपत्ति में अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य प्रावधान है जिसके तहत महिलाओं को उत्तराधिकार में कानूनी अधिकार दिए गए हैं।

हिन्दू अल्पवयस्कता व संरक्षकता अधिनियम ,१९५६

(Hindu Minority and Guardianship Act ,1956)

गोद लेने का रिवाज़ सिर्फ हिन्दू धर्म में ही था,परन्तु इसके लिए लिखित कानून नहीं थे। इसप्रकार कि अन्य समस्याओं के निदान के लिए १९५६ में सरकार ने एक कानून बनाया जिसका नाम था ,हिन्दू अल्पवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत कहा गया कि जो भारत का रहने वाला हो परन्तु भारत से बाहर रह रहा हो उसके उप्पर भी यह कानून लागू होगा। इसके अंतर्गत अल्पवयस्क और संरक्षक को परिभाषित किया गया है,जिसमे कहा गया है कि १८ वर्ष से कम आयु वाले अल्प्वयस्क में आयेंगे और संरक्षक के बारे में कहा गया है कि जो इस अल्पवयस्क कि देखभाल कर सके वह संरक्षक कहलायेगा। इस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षक को कई श्रेणियों में बांटा गया है -

जैसे कि प्राकृतिक संरक्षक,कृत्रिम संरक्षक आदि। इस अधिनियम कि धारा ६ में संरक्षक को और अधिक परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत माता को दूसरे स्तर कि संरक्षक मन गया है जिसपर आगे चलकर नारीवादियों व अन्य का काफी विरोध शुरू हुआ क्युकी ऐसा करने से संविधान कि धारा १४,१५,१६ कि अवहेलना होती। इस विरोध के बाद १९९९ में एक केस आया-गीता हरिहरन बनाम आर बी आई का। जिसमे कहा गया कि माता,पिता के बाद ही प्राकृतिक संरक्षक बने यह जरूरी नहीं है और

इसमें उचित दिल्ली दे गई जिसके बाद अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अगर माता पिता जीवित हैं तो यह जरूरी नहीं कि पिता ही संरक्षक बने बल्कि अगर पिता सक्षम नहीं है जिम्मेदारी उठाने में और माता उससे ज्यादा सक्षम है तो वैसी स्थिति में माता ही बच्चे कि प्राकृतिक संरक्षक होगी और यह एक लचीला निर्णय होना चाहिए।

इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों में अल्पवयस्क कि संपत्ति व अन्य मामलो से सम्बंधित विवरण दिया गे है। वहीँ अनुभाग १० में वर्णित है कि अल्पवयस्क कभी किसी अल्पवयस्क का संरक्षक नहीं बन सकत। अविवाहित लड़की के विवाह के बाद उसके संरक्षण कि जिम्मेदारी उसके पति कि होगी। जिसको लेकर नारीवादी व अन्य सामाजिक कार्यकर्तावों ने काफी आंदोलन किया। मधु किश्वर ने लिखा है कि इस कानून से पहले भी अभिभावक का कानून मान्य था,जो कि सभी समुदायों पर लागू होता था और इसके अंतर्गत de facto संरक्षक मन जाता था जबकि हिन्दू अभिभावक कानून सिर्फ हिन्दू पर लागू होता है कि समानता के विरूद्ध है।

हिन्दू दत्तक ग्रहण व रख -रखाव अधिनियम ,१९५६

Hindu Adoption and Maintenance Act ,1956)

दत्तक ग्रहण कि परंपरा सिर्फ हिन्दू समुदाय में ही प्रचलन में थी। अगर प्राचीन इतिहास के पन्नों को हम पलटेंगे तो पाएंगे कि ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं। परन्तु लिखित नियम न होने के कारन समाज में अनेक भ्राँतियाँ मौजूद थीं। जिसको दूर करते हुए तथा महिलाओं को भी (विवाहित / अविवाहित)गोद

लेने का कानूनी जामा पहनते हुए सरकार ने १९५६ में हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं रख -रखो अधिनियम पारित किया जो कि सिर्फ हिन्दू समुदाय पर ही लागू होता था। इसके विभिन्न अनुभागों के अंतर्गत कहा गया कि बच्चे को गोद लेते वक़्त अभिभावक और बच्चे कि उम्र में कम से कम २१ साल का अंतर होना चाहिए। जिस लिंग का बच्चा लोग ले रहे हो उसी लिंग का बच्चा अभिभावक के पास नहीं होना चाहिए,अगर ऐसा हुआ तो दत्तक ग्रहण कानून लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अन्य अनुभग्गो में कहा गया कि अगर पति -पत्नी बच्चा गोद ले तरहे हों तो दोनों कि उम्र कुल मिलाकर ९० साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि अविवाहित महिला भी अगर इस अधिनियम कि अन्य शर्तें पूरी करती हो तो वह बच्चा गोद ले सकती है ,यथा -पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन।

अब चुकी यह कानून सिर्फ हिन्दू पर लागू होता था ,ऐसी स्थिति में धार्मिक असमानता का मुद्दा उठा और २००० में एक महत्वपूर्ण केस आया शबाना हाश्मी का। इसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ,२००२ के अनुभाग २(aa)कानून बना और २००५ में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी धर्म के अनाथ बच्चे को गोद ले सकता है। हिन्दू रख -रखाव अधिनियम के अंतर्गत पत्नी ,पति कि जिम्मेदारी मानी गई तब जब पत्नी ने दूसरा विवाह न किया हो और अगर पति जीवित नहीं हैं तो वैसी स्थिति में ससुर विधवा की जिम्मेदारी उठाएगा।

इस प्रकार हिन्दू सम्प्रदाय में महिलाओं को विवाह ,तलाक़ ,उत्तराधिकार ,संरक्षक ,गोद लेने व अन्य कई तरह के कानूनी अधिकार प्रदान किये गए। इस तरह के कानून महिला अधिकारों के पक्ष में बदलकर,उनके अधिकार ,योगदान और हक़ को एक व्यापक दृष्टि कोण प्रदान करता है। अपनी

सीमितताओं के बावजूद इस तरह की कानूनी प्रक्रिया से एक नीव पड़ेगी जो समानता के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति की लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आदर्श स्थिति तो वही है जिसमे चेतना और स्वीकार्यता कानूनी सुधार से पहले पैदा हो जाए तो इस तरह की मांग के लिए लम्बे आंदोलन चलने की आवश्यकता नहीं रहेगी इसके अतिरिक्त निजी कानूनों के भीतर और बाहर विभिन्न मुद्दों पर सुधार के लिए एक आम सहमति और मिल -जुलकर काम करना आवश्यक है ताकि सभी जन समुदाय महिला अधिकाररों की रुप रेखा को स्वीकार करें और उनके श्रम और पहचाहन को उचित मान्यता दे सकें।